उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1,
संख्या-85/2017/3633/92-1-2017-122आरईएस/2004टीसी
लखनऊः दिनांकः 18 अक्टूबर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

श्री शैलेष अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता को कार्यालय ज्ञाप संख्या- 85/2016/4022/92-1-2016-122आरईएस/2004 टी0सी0, दिनांक 28.12.2016 द्वारा मुहर बन्द लिफाफे के सापेक्ष मुख्य अभियंता (स्तर-दो), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग वेतनमान रू0-37400-67000 ग्रेड पे 8900 (वेतन बैण्ड-4) के पद पर कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानापन्न रूप से पदोन्नति प्रदान की गई थी।

2- एतद्द्वारा श्री शैलेष अग्रवाल की मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) के पद पर की गयी स्थानापन्न पदोन्नति तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

3- श्री अग्रवाल की अधीक्षण अभियन्ता के पद पर तैनाती का आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4- श्री अग्रवाल को यह निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अधीक्षण अभियन्ता के पद पर निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करते हुए योगदान आख्या की प्रति शासन को उपलब्ध करायें।

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-85/2017/3633(1)/92-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
3. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in